रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2013/वैशाख 27, 1935
No. 140] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2013/VAISAKHA 27, 1935

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली 9 मई, 2013

सं. भा.आ.प.–154(3)/2012–स्था./6576 – भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् भर्ती नियमावली, 2001" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व–अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाती है:, नामत:

1. इन नियमों को "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2013" कहा जाएगा।
2. ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की प्रधान भर्ती नियमावली, 2001 में सचिव के पद के लिए भर्ती नियमों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

पद का नाम	पद की संख्या	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतन मान	क्या स्वीकृत पद है या गैर–स्वीकृत पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सचिव	1	10000 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड IV (37000–67000 रु.) जमा चिकित्सा व्यवसायविदों के मामले में स्वीकार्य व्यवसाय निशेध भत्ता	लागू नहीं	अधिक से अधिक 50 वर्ष (समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट

सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता, पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा, (यदि कोई है), की अवधि	भर्ती की पद्धति; क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का %
(6)	(7)	(8)	(9)
शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव **अनिवार्य:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री, सहित एमडी/एमएस/डीएम/एम.सीएच. ; (ii) निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या एक से अधिक में 16 वर्षों के अनिवार्य अनुभव के साथ–साथ नेतृत्व के गुण; विधिक सहित प्रशासनिक मामले, जन संपर्क, भर्ती, स्थापना, रिकार्डों का रखरखाव, संपदा प्रबंधन, वित्तीय प्रक्रियाओं, लेखांकन, लेखा–परीक्षा सहित वित्तीय मामले। **वांछनीय:** विधि/प्रबंधन में अतिरिक्त डिग्री के साथ किसी बड़े शैक्षिक या अनुसंधान संस्थान सहित स्वायत्त निकायों, केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठन में लोक नीति के मुद्दों से संबंधित कार्रवाई करने, प्रशासन का अनुभव और प्रमाणित योग्यता।	लागू नहीं	केवल सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित), ऐसा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा

वे **ग्रेड,** जिससे भर्ती की जानी है, अर्थात पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक संविदा/पुनर्नियोजन	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति मौजूद है तो इसका संघटन क्या है
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/मेडिकल विश्वविद्यालयों/राजकीय मेडिकल कॉलेजों या सरकारी अस्पतालों के अधीन केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों के अधीन कार्यरत अधिकारी, जिनमें नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी या 8700/— रुपए के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड IV में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी शामिल हैं। **शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव** **अनिवार्य :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री, सहित एमडी/ एमएस/डीएम/एम.सीएच. ; (ii) निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या एक से अधिक में 5 वर्षों के अनिवार्य अनुभव के साथ—साथ नेतृत्व के गुण; विधिक सहित प्रशासनिक मामले, जन संपर्क, भर्ती, स्थापना, रिकार्डों का रखरखाव, संपदा प्रबंधन, वित्तीय प्रक्रियाओं, लेखांकन, लेखा—परीक्षा सहित वित्तीय मामले। **वांछनीय:** विधि/प्रबंधन में अतिरिक्त डिग्री के साथ किसी बड़े शैक्षिक या अनुसंधान संस्थान सहित स्वायत्त निकायों, केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठन में प्रशासन का अनुभव और प्रमाणित योग्यता। **टिप्पणी:—** (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा; (ii) उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग—बाह्य पद पर बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (iii) आयु की ऊपरी सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समय—समय पर इस विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सहमति से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित खोज व चयन समिति के माध्यम से। **टिप्पणी** : सचिव के पद पर नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति (एसीसी) के अनुमोदन की शर्त के अधीन होगी।

डॉ. आर.पी. मीणा, सचिव

[विज्ञापन— III/4/असाधारण/100/13]

<u>पाद टिप्पणी</u> : प्रधान भर्ती नियमावली, नामतः "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् भर्ती नियमावली, 2001" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29 दिसंबर, 2001 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 12.03.2003 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2013

No. MCI-154(3)/2013-Estt./6576 - In exercise of the powers conferred by clause (f) Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the "Medical Council of India Recruitment Rules, 2001", namely:-

1. These Regulations may be called the "Medical Council of India Recruitment (Amendment) Rules, 2013."
2. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the principle Recruitment Rules of Medical Council of India, 2001, the Recruitment Rules for the post of Secretary shall be substituted with the following:-

"

Name of Post	No. of Post	Pay Band and Grade Pay/Scale of Pay	Whether selection post or non-selection posts	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Secretary	1	Pay Band IV (Rs. 37000-67000) with GP of Rs.10000 plus Non-practicing Allowance as admissible in case of medical professionals.	Not applicable	Not exceeding 50 years (relaxable for Government servants/employees of Medical Council of India upto 5 years in accordance with the instructions/orders issued by Government of India from time to time)

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment; whether by direct recruitment Or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various method
(6)	(7)	(8)	(9)
Educational Qualifications and experience Essential: i. Postgraduate degree from a recognized university including MD/MS/DM/M.Ch.; ii. Leadership qualities along with essential experience of 16 years' in one or more of the following areas: Administrative matters including Legal, Public relation, Recruitment, Establishment, maintenance of records, Estate Management, Financial matters including, Financial Procedures, Accounting, Auditing. **Desirable :** Proven ability and experience of administering, handling public policy issues in central/state government organization, autonomous bodies including large educational or research Institution with additional degree in Law/management	Not applicable	One year for direct recruits only	Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

Grade from which recruitment is to be made i.e. promotion/deputation/transfer/short-term contract/re-employment	If a DPC/Selection committee exists, what is its composition
(10)	(11)
Deputation: Officers under the Central Government/State Government/Autonomous Bodies under Central/State Government/Medical Universities/Government Medical colleges or Government Hospitals including All India Service Officers holding analogous post on regular basis; or 3 years regular service in the Pay Band IV with Grade Pay of Rs.8700 **Educational Qualifications and experience** **Essential:** i. Postgraduate degree from a recognized university including MD/MS/DM/M.Ch.; ii. Leadership qualities along with essential experience of 5 years' in one or more of the following areas: Administrative matters including Legal, Public relation, Recruitment, Establishment, maintenance of records, Estate Management, Financial matters including, Financial Procedures, Accounting, Auditing. **Desirable:** Proven ability and experience of administering, central/state government organization, autonomous bodies including large educational or research Institution with additional degree in Law/Management **Note:-** The period of deputation would ordinarily not be exceeding 3 years which shall be extendable upto 5 years. (i) The period of deputation would ordinarily not be exceeding 3 years which shall be extendable upto 5 years. (ii) The period of deputation including the period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organization/department shall ordinarily not exceed 5 years. (iii)The upper age limit shall not be exceeding 56 years.	Through Search cum Selection Committee constituted by the Ministry of Health & Family Welfare with the concurrence of Department of Personnel and Training (DoPT) in terms of instructions issued by DoPT on the subject from time to time. Note: The appointment to the post of Secretary would be subject to the approval of Appointments Committee of Cabinet (ACC).

"

Dr. R.P. MEENA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./100/13]

Foot Note : The Principal Recruitment Rules namely, "The Medical Council of India Recruitment Rules, 2001" were published in Part – III, Section 4 of the Gazette of India vide Medical Council of India Notification dated the 29th December, 2001 and amended vide Council notification dated 12.03.2003.

2068 GI/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.